परिपत्र संख्या-स0द0/ /कम्प्यूटर परि0सं0 1685 / 1920070 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(सचलदल अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 28 नवम्बर, 2019

समस्त
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),
ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0),
असिस्टेन्ट कमिश्नर (सचलदल),
<u>वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।</u>

विषय: असत्यापित पारगमन प्राधिकार पत्र (TDF-1) के मामलों में कर निर्धारण / अर्थदण्ड कार्यवाही आनलाईन माड्यूल से किए जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर किसी स्थान से मालयुक्त वाहन को उत्तर प्रदेश से होते हुए राज्य के बाहर गंतव्य के लिए जाने हेतु वाहन प्रभारी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 (जिसे आगे "प्रान्तीय अधिनियम" कहा गया है) की धारा-52 एवं यूपी0 वैट नियमावली, 2008 के नियम-58 के अन्तर्गत विहित प्रपत्रों को विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश में प्रवेश करते समय विभागीय वेबसाईट से टी0डी0एफ0-1 डाउनलोड किया जाता था। राज्य से निर्गमन के समय टी0डी0एफ0-2 को आनलाईन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया विहित की गई थी। जिस वाहन प्रभारी व्यक्ति द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार टी0डी0एफ-1 डाउनलोड करने के बाद माल सहित वाहन को राज्य के बाहर चले जाने के साक्ष्य सहित विभागीय पोर्टल पर आनलाईन टी0डी0एफ0-2 अपलोड नहीं किया गया उस मामले में प्रान्तीय अधिनियम की धारा-52 में निहित प्रावधानों के अनुसार यह अवधारित किया जाता है कि वाहन प्रभारी या वाहन स्वामी द्वारा ऐसे माल को उत्तर प्रदेश में बिक्री करने के लिए लाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय वेबसाईट से आनलाईन डाउनलोड किए गए जिन टी0डी0एफ0-1 के लिए विहित प्रक्रिया से आनलाईन टी0डी0एफ0-2 अपलोड नहीं किया गया है उन मामलों में प्रान्तीय अधिनियम की धारा-28 की उपधारा (9) में कर निर्धारण तथा धारा-54(1) की तालिका के क्रमांक-15 के अन्तर्गत अर्थदण्ड एवं प्रवेश कर योग्य माल के मामलों में प्रान्तीय अधिनियम में कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-9 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रवेश कर निर्धारण एवं धारा-13 सपठित प्रान्तीय अधिनियम की धारा-54 के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के असत्यापित टी0डी0एफ0-1 के मामलों में कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड की उक्त कार्यवाही मैनुअली की गई थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के असत्यापित टी0डी0एफ0-1 के मामलो में कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही आनलाईन किए जाने हेतु एक माड्यूल विकसित किया गया है जिससे वर्ष 2016-17 एवं आगामी वर्ष के सभी मामलो में कार्यवाही की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के असत्यापित टी0डी0एफ0-1 के जिन मामलों को जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा अपने जोन में कार्यरत अधीनस्थ सचलदल इकाई के जिस प्रभारी अधिकारी को वाद निस्तारण हेतु हस्तानान्तरित किया जा चुका है उन मामलों को पुनः उसी प्रभारी अधिकारी को अपने लागिन से आनलाईन दिनांक 30-11-2019 तक हस्तानान्तरित कर दिया जाएगा।

सचलदल इकाई के प्रभारी अधिकारी की लागिन पर उपलब्ध असत्यापित टी0डी0एफ0-1 हेतु आनलाईन R-5A जनरेट किया जाएगा तत्पश्चात जनरेट नोटिस के मेन्यू में जाकर कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु प्रान्तीय / प्रवेश कर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आनलाईन नोटिस डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जारी की जाएगी। नोटिस जारी करते समय सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई के समुचित अवसर के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए वाद की सुनवाई की तिथि नियत की जाय। नोटिस की हार्डकॉपी की एक प्रति पत्रावली पर एवं एक प्रति रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के असत्यापित टी0डी0एफ0-1 के सभी मामलों में कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु नोटिस भेजने की कार्यवाही दिनांक 31-12-2019 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय।

कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड आदेश भी आनलाईन माड्यूल से ही पारित किए जाएंगे। आदेश पारित करने से पूर्व R-5B जनरेट किया जाएगा तत्पश्चात जनरेट आर्डर के मेन्यू में जाकर कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड आदेश पारित किया जाएगा। नोटिस के प्रत्युत्तर में वाहन स्वामी की ओर से प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए मुखर आदेश पारित किए जायें।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।